



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25072022-237555
CG-MH-E-25072022-237555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 372]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2022/श्रावण 3, 1944

No. 372]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2022/SHRAVANA 3, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

सुबई, 25 जुलाई, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-
 - I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,
 - i. खंड (थ) के बाद, निम्नलिखित खंड (थक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(थक) “लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के विनियम 292क के खंड (ड) में इसके लिए दिया हुआ है;”

ii. खंड (न) के बाद, निम्नलिखित खंड (नक), (नख), (नग) और (नघ) जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(नक) “सोशल एंटरप्राइस” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के विनियम 292क के खंड (ज) में इसके लिए दिया हुआ है;

(नख) “सोशल इम्पैक्ट फंड” का अर्थ है वह आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड), जो मुख्य तौर पर सामाजिक उद्यमों (सोशल वेंचरों) की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़), यूनितों या भागीदारी हित (पार्टनरशिप इंटरेस्ट) में अथवा सोशल एंटरप्राइस की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में निवेश करती है और जो इस निधि (फंड) द्वारा समाज को फायदा पहुँचाने के संबंध में निर्धारित किए गए मानदंडों को पूरा करती है;

(नग) “सोशल स्टॉक एक्सचेंज” का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 के विनियम 292क के खंड (झ) में इसके लिए दिया हुआ है;

(नघ) “सोशल यूनितों” का अर्थ है वे यूनितें जो सोशल इम्पैक्ट फंड या सोशल इम्पैक्ट फंड की स्कीमों द्वारा ऐसे निवेशकों को जारी की जाएँ, जिन्होंने निवेश आर्थिक लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि केवल समाज कल्याण के इरादे से किया हो;”

iii. खंड (फ) हट जाएगा।

II. विनियम 3 में, उप-विनियम (4) में, खंड (क) में, शब्दों “सामाजिक उद्यम निधियाँ” के स्थान पर शब्द “सोशल इम्पैक्ट फंड” आ जाएंगे।

III. विनियम 10 में,

i. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(क) आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि यूनितें जारी करके किसी भी निवेशक से पैसा जुटा सकेगी, फिर चाहे वह निवेशक भारतीय हो, विदेशी हो या अनिवासी भारतीय हो:

परंतु यह कि सोशल इम्पैक्ट फंड या सोशल इम्पैक्ट फंड की स्कीमें सोशल यूनितें भी जारी कर सकेगी;”

ii. खंड (ख) में,

क. चिह्न “;” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा।

ख. खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि सोशल इम्पैक्ट फंड की प्रत्येक स्कीम का कॉर्पस कम से कम पाँच करोड़ रुपये का होगा;”

iii. खंड (ग) में,

क. दूसरे परंतुक में, चिह्न “;” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा।

ख. दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह और कि जो सोशल इम्पैक्ट फंड केवल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध (लिस्टिड) हुए ‘लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन’ की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में ही निवेश करता है, उसके मामले में एकल निवेशक द्वारा कम से कम दो लाख रुपये का निवेश किया जाएगा;”

IV. विनियम 16 में, उप-विनियम (4) में,

- i. शब्द "सामाजिक उद्यम निधियों" के स्थान पर शब्द "सोशल इम्पैक्ट फंड" आ जाएंगे।
- ii. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"निवेशयोग्य रकम की कम से कम पचहत्तर प्रतिशत रकम का निवेश सामाजिक उद्यमों (सोशल वेंचरों) की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) या भागीदारी हित (पार्टनरशिप इंटरेस्ट) में किया जाएगा या सामाजिक उद्यमों (सोशल वेंचरों) की यूनितों में किया जाएगा या सोशल एंटरप्राइस की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किया जाएगा:

परंतु यह कि मौजूदा सोशल इम्पैक्ट फंड बाकी की निवेशयोग्य रकम का निवेश सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध (लिस्टिड) 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने ऐसे संगठनों' की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में कर सकेगा, जिसके लिए उसे उनके द्वारा किए जाने वाले निवेश के मूल्य के अनुसार कम से कम 75% निवेशकों से पूर्व सहमति लेनी होगी;"
- iii. खंड (ख) के पहले परंतुक में, शब्दों "पच्चीस लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" आ जाएंगे।
- iv. खंड (ख) के परंतुक के बाद, निम्नलिखित खंड (खक) जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(खक) खंड (क) और खंड (ख) के प्रावधानों के होते हुए भी, केवल सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध (लिस्टिड) ऐसे किसी 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के लिए ही शुरू किए गए सोशल इम्पैक्ट फंड या शुरू की गई सोशल इम्पैक्ट फंड की स्कीमों को निवेशयोग्य रकम का शत-प्रतिशत निवेश स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्ट्रीकृत या सूचीबद्ध (लिस्टिड) 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने ऐसे संगठनों' की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में करने की अनुमति होगी।"
- v. खंड (ग) में, शब्दों "सामाजिक उद्यमों" के स्थान पर शब्द और चिह्न "सामाजिक उद्यमों (सोशल वेंचरों) या सोशल एंटरप्राइसों" आ जाएंगे।
- vi. खंड (घ) हट जाएगा।
- vii. पहली अनुसूची – प्ररूप में, प्ररूप-क में, पैरा-1 में, खंड (ड) में, उप-खंड (2) में, शब्द "सामाजिक उद्यम निधि" के स्थान पर शब्द "सोशल इम्पैक्ट फंड" आ जाएंगे।

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./193/2022-23]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -
 - (1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
 - (2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
 - (4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा

- (5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
- (6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
- (7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
- (8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
- (9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (10) 19 अक्टूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
- (11) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा
- (12) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
- (13) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (14) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/33, द्वारा
- (15) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (16) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/57, द्वारा
- (17) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा
- (18) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th July, 2022

[SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (.....Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012,—
 - I. In sub-regulation (1) of regulation 2,
 - i. After clause (q), the following clause (qa) shall be inserted, namely, -

“(qa) “not for profit organization” shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of regulation 292A of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;”
 - ii. after clause (t), the following clauses (ta), (tb), (tc) and (td) shall be inserted, namely, -

“(ta) “social enterprise” shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of regulation 292A of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(tb) “social impact fund” means an Alternative Investment Fund which invests primarily in securities, units or partnership interest of social ventures or securities of social enterprises and which satisfies the social performance norms laid down by the fund;

(tc) “social stock exchange” shall have the same meaning as assigned to it in clause (i) of regulation 292A of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(td) “social units” means units issued by a social impact fund or schemes of a social impact fund to investors who have agreed to receive only social returns or benefits and no financial returns against their contribution;”
 - iii. clause (v) shall be omitted.
 - II. In regulation 3, in sub-regulation (4), in clause (a), the words “social venture funds” shall be substituted with the words “social impact funds”.
 - III. In regulation 10,
 - i. in clause (a),
 - a. the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”.
 - b. after clause (a), the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that a social impact fund or schemes of a social impact fund may also issue social units;”
 - ii. in clause (b),
 - a. the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”.
 - b. after clause (b), the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided that each scheme of the social impact fund shall have a corpus of at least five crore rupees;”
 - iii. in clause (c),
 - a. in the second proviso, the symbol “;” shall be substituted with the symbol “:”.
 - b. after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely,-

“Provided further that in case of a social impact fund which invests only in securities of not for profit organizations registered or listed on a social stock exchange, the minimum value of investment by an individual investor shall be two lakh rupees;”

- IV. In regulation 16, in sub-regulation (4) ,
- i. the word “venture” shall be substituted with the word “impact”.
 - ii. clause (a) shall be substituted with the following, namely,-
*“At least seventy-five percent of the investable funds shall be invested in unlisted securities or partnership interest of social ventures or in units of social ventures or in securities of social enterprises:
 Provided that an existing social impact fund may invest the remaining investable funds in securities of not for profit organizations registered or listed on a social stock exchange with the prior consent of atleast 75% of the investors by value of their investment;”*
 - iii. in the first proviso to clause (b), the words “twenty five lakh rupees” shall be substituted with the words “ten lakh rupees”.
 - iv. after the provisos to clause (b), the following clause (ba) shall be inserted, namely,-
“(ba) Notwithstanding the provisions of clauses (a) and (b), a social impact fund or schemes of a social impact fund launched exclusively for a not for profit organization registered or listed on a social stock exchange, shall be permitted to deploy or invest hundred percent of the investable funds in the securities of not for profit organizations registered or listed on a social stock exchange.”
 - v. in clause (c), after the words “social ventures” and before the symbol and word “, provided”, the words “or social enterprises” shall be inserted.
 - vi. clause (d) shall be omitted.
 - vii. in the FIRST SCHEDULE-FORM, in FORM A, in paragraph 1, in clause (e), in sub-clause (2), the word “Venture” shall be substituted with the word “Impact”.

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./193/2022-23]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
 - (1) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (2) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (3) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (4) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (5) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.

- (6) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
- (7) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
- (8) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
- (9) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (10) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
- (11) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
- (12) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
- (13) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (14) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
- (15) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI.LAD-NRO/GN/2021/41.
- (16) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
- (17) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
- (18) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.